बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 138655 पटना, दिनांक:- 13-02-13

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(दि0नि0)-102-43/2012

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ।

विषय:- इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में वास स्थल विहीन परिवार तथा अपने निवास स्थान से बाहर जाने के कारण अनुपलब्ध परिवारों को छोड़कर प्रतीक्षा सूची के अगले परिवार को आवास आवंटन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इंदिरा आवास का आवंटन बी0पी0एल0 सूची के आधार पर तैयार स्थायी प्रतीक्षा सूची से की जाती है । यह स्थायी प्रतीक्षा सूची वर्ष 2002-07 के बी0पी0एल0 सूची के आधार पर आरोही क्रम में तैयार की गयी है । पूर्व में दिये गये निदेश के आलोक में प्रत्येक पंचायत के लिए दो प्रतीक्षा सूची तैयार की गयी है - (पत्रांक- 4320 दिनांक- 28.05.2009)

(i) अनु0 जाति/जन जाति की पंचायतवार आरोही क्रम में सूची

(ii) अन्य वर्गों की पंचायतवार आरोही क्रम में सूची

उपर्युक्त कंडिका (i) एवं (ii) में उल्लेखित दोनों प्रतीक्षा सूची के परिवारों को बी0पी0एल0 सर्वेक्षण में प्राप्त कुल अंक के अनुसार आरोही क्रम में वित्तीय वर्ष में पंचायतवार प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध इंदिरा आवास आवंटन करने का निदेश दिया गया था ।

2. उप विकास आयुक्तों की मासिक बैठक एवं क्षेत्र भ्रमण के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि

(i) प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कई परिवारों को या तो इंदिरा आवास निर्माण हेतु वास की भूमि नहीं है । यद्दपि कि वास विहीन परिवारों को वास स्थल की भूमि उपलब्ध कराने की सरकार की योजना है, किन्तु विविध कारणों से भूमि नहीं मिल पायी है ।

(ii) इंदिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित कई परिवार अपने मूल निवास स्थान से स्थायी/अस्थायी रूप से पलायन कर गये हैं ।

उपर्युक्त कंडिका-2(i) तथा 2(ii) में उल्लिखित कारणों से इस प्रकार के लाभुकों को तत्काल इंदिरा आवास का लाभ देना संभव नहीं हो पा रहा है । प्रतीक्षा सूची में नाम रहने के कारण इनके लिए ₹ 45,000 (पैंतालीस हजार रूपये) की दर से राशि सुरक्षित रखी जा रही है ताकि यदि कंडिका-2(i) में उल्लेखित परिवार को यदि भूमि उपलब्ध हो जाती है तथा कंडिका-2(ii) में उल्लेखित परिवार अपने मूल निवास स्थान को वापस आ जाते हैं तो उन्हें तत्काल इंदिरा आवास का लाभ दिया जा सके । विगत कई वर्षों से इस प्रकार राशि सुरक्षित रखे जाने से कालान्तर में यह राशि काफी बड़ी हो सकती है । राशि के उपयोग नहीं होने के कारण जहां एक ओर वित्तीय वर्ष के अंत शेष में यह राशि दर्शायी जा रही है जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा केन्द्रांश की राशि की कटौती कर ली जाती है वहीं अन्य सुपात्र परिवार योजना का लाभ पाने से वंचित रह जाते हैं ।

अतएव सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निदेश दिये जाते हैं-

3 (i) जहां ऐसे दृष्टांत आयें जिसमें सुपात्र परिवार को वास हेतु भूमि नहीं हो अथवा परिवार अपने मूल निवास स्थान से पलायन कर गया हो, तो वैसे मामलों में इनके लिए राशि सुरक्षित रखकर प्रतीक्षा नहीं की जाय अपितु स्थायी प्रतीक्षा सूची में अगले क्रम में आने वाले परिवार को लाभान्वित करा दिया जाय ।

(ii) यदि कंडिका-2(i) में उल्लेखित परिवारों को वास स्थल की भूमि उपलब्ध हो जाती है अथवा कंडिका-2(ii) में उल्लेखित परिवार अपने मूल निवास स्थान को लौट आते हैं तो उन्हें तत्काल प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाय । ऐसे परिवारों का प्राथमिकता क्रम अक्षुण रहेगा ।

(iii) इस प्रकार के मामलों के कारण स्थायी प्रतीक्षा सूची के अगले क्रम के परिवार को लाभान्वित करने से पूर्व जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत वरीय प्रभारी पदाधिकारी की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी ।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

विश्वासभाजन

(अमृत लाल मीणा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक:- 138655 पटना, दिनांक:- 13-2-13

प्रतिलिपि- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/2/13
सरकार के सचिव